R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

301
अगस्त
2004

बैंकिंग

धोखाधड़ियों में कमी लाना

यह पाये जाने पर कि रिपोर्ट की गयी ज्यादातर धोखाधड़ियों के मामले में आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग तथा खातों की निगरानी के मामले में प्रशासनिक चूक हुई है, बैंक, वाणिज्यिक तथा वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी परामर्शी बोर्ड ने अग्रिमों की मंजूरी तथा निगरानी के स्तरों पर पायी गयी कमियों की तथा प्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में एक व्याख्यात्मक सूची दी है। पायी गयी चूकों तथा पोर्टफोलियो अग्रिमों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को कम से कम करने के लिए सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं:

कमियां

मंजूरी के चरण पर

(i) ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेज़ल) में यथोचित सावधानी नहीं बरती गयी। उधारकर्ता कंपनी के उच्च पूर्वानुमानों का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया। कुछेक मामलों में सार्वजनिक निर्गम के प्रयोजन से व्यापारी बैंकिंग प्रभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ऋण सीमाएं मंजूर कर दी गयीं और ऋण जोखिम का अलग से आकलन नहीं किया गया।

(ii) परियोजना रिपोर्ट, परियोजना की लागत तथा वित्त के साधनों की जानकारी प्राप्त किए बिना मीयादी ऋण मंजूर किये गये।

(iii) परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा के समय बाज़ार की स्थितियों तथा ऐसे कारकों के उचित मूल्यांकन के बिना अतिरिक्त ऋण मंजूर किए गए जिनकी वजह से परियोजना में लगने वाला समय तथा लागत बढ़ गयी।

(iv) स्टॉक सत्यापन रिपोर्टों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों आदि में निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा बतायी गयी अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ किया गया।

(v) नियंत्रक कार्यालय/शाखा के अधिकारियों ने उधारकर्ता तथा परियोजनाओं के संबंध में मंजूरी देने वाले अधिकारियों को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी।

(vi) उधारखाते की असंतोषजनक स्थिति के संबंध में पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद कमियों को नज़रअंदाज़ कर सुविधाएं मंजूर की गयीं।

(vii) इस तत्व को नज़रअंदाज़ किया गया कि खाते हस्तगत करते समय उधारकर्ता कंपनी के खाते पिछले बैंक/बैंकों में भी अनियमित थे।

(viii) कंपनी को नियमित सीमा मंजूर होने तथा उसके खाते अनियमित चलने के बावजूद बार-बार तदर्थ सीमाएं मंजूर की गयीं।

(ix) ऋण की मंजूरी के समय निर्धारित शर्तें निधियों के संवितरण के समय बिना किसी औचित्य के शिथिल कर दी गयीं।

(x) कुछ मामलों में मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों ने मामलों की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय करने के बजाए बाहरी दबावों में कार्य किया।

निगरानी के चरण पर

(i) केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित मंजूरी की शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुए शाखा-स्तर के अधिकारियों द्वारा ऋण और अग्रिम जारी किए गए।

(ii) उधारकर्ता द्वारा किए जा रहे निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में उचित निगरानी नहीं की गयी।

(iii) सनदी लेखाकार/मूल्यांकक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों पर अनुचित रूप से भरोसा किया गया तथा संबंधित अन्य क्रिया-विधियों से उसका सह-संबंध नहीं देखा गया।

(iv) कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में जमानत के रूप में रखे गए स्टॉक के गायब होने का पता लगाने में बैंक असफल रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि बैंक की जानकारी के बिना निधियों को इधर उधर लगा दिया गया/स्टॉक की बिक्री की गयी तथा प्राप्य राशियों की वसूली कर ली गयी।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
धोखाधड़ियों में कमी लाना	1
चालू खाते खोलना	2
आरटीजीएस सेवाएं अब बैंक ग्राहकों के लिए	2
नीति	
लोक अदालतों के लिए सीमा बढ़ायी गयी	2
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना	2
अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	2
शहरी सहकारी बैंक	
शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक जामिन/गारंटीकर्ता नहीं होंगे	3
चालू खाते खोलना	3
स्वर्ण/लघु ऋणों के लिए 90 दिन के मानदंड	3
अस्थायी ओवरड्राफ्ट/चेक खरीद सुविधाएं	4
पूंजी निवेश आर्थिक सहायता (सबसिडी) योजना	4
सूचना	
भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लिए प्रस्तावित बोर्ड	4
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां और वसूलियां	4

(v) बैंक दूसरे उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी जमानत की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में विफल हुए, विशेषकर यह सत्यापित करने में विफल कि वही परिसंपत्ति दूसरे बैंक/वित्तीय संस्था के पास भी गिरवी रखी गयी है, नज़र में आयी।

(vi) कर्ज दिए जाने के बाद खातों की आवधिक समीक्षा नहीं की गयी।

(vii) जब बैंक/वित्तीय संस्था ने दूसरे बैंक से खाता हस्तगत किया उस समय परियोजना की वित्तीय स्थिति का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।

(viii) शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा उधार खाते से अनुमत सीमा से अधिक राशि आहरण करने की अनुमति के लिए प्रधान कार्यालय ने नेमी तौर पर पुष्टि कर दी तथा इस बात की कोई जाँच नहीं की कि बार-बार ऐसी अनुमति दिए जाने की आवश्यकता भी थी या नहीं।

(ix) बिना उचित प्राधिकार के मंजूर सीमाओं को बिना किसी विवेक के आपस में अदला-बदली करने की अनुमति प्रदान की गयी।

(x) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋणों के मामलों में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मंजूरी की महत्त्वपूर्ण शर्तों यथा लेखा-परीक्षा समितियों तथा स्वतंत्र परियोजना निगरानी समितियों के गठन को गंभीरता से नहीं लिया गया।

सुझाव

(i) ऋणदाता बैंक को उधारकर्ताओं से तिमाही आधार पर ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें अन्य बैंकों में खोले गए खातों के ब्यौरे दिए गए हों।

(ii) बैंक में ही मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र कक्ष की स्थापना पर विचार किया जाए जिसका कामकाज उचित विशेषज्ञता रखनेवाले तकनीकी कार्मिक संभालें।

(iii) जहां डीलिंग अधिकारियों के स्तर पर कदाशयता/घोर उपेक्षा का पता चले उन मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाये। जहां डीलिंग अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है वहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से परामर्श करके केंद्रीय सतर्कता कक्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में उनका नाम सम्मिलित कराने के संबंध में उचित कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

(iv) बैंकों को जाँच सूचीकरण की ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिससे कि वे उधारकर्ता को निधियां जारी करते समय अथवा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करते समय किसी प्रकार की कमियों का पता लगाने में समर्थ हो सकें।

(v) बैंक, अधिकारियों के ऐसे संवर्ग तैयार करें, जिनकी उचित शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा प्रशिक्षण हो, जो कम से कम बड़ी परियोजनाओं का कार्य संभाल सकें।

(vi) परियोजना वित्त के मामले में अपना संवितरण प्रवर्तक/उधारकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निधियां लाने के पश्चात् ही करें।

चालू खाते खोलना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जहाँ ऐसे संभावित ग्राहक, जो कोई कार्पोरेट है अथवा बड़ा उधारकर्ता, यदि वह एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, के अनुरोध पर यथोचित सावधानी बरती जाती है, बैंकों को चाहिए कि यदि वे महासंघ के अंतर्गत हो तो वे कन्सोर्शियम लीडर के और यदि बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत हों तो संबंधित बैंकों को सूचित करें।

यदि एक पखवाड़े की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि बीत जाने के बाद भी मौजूदा बैंकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो बैंक भावी ग्राहकों के चालू खाते खोल सकते हैं। यदि एक पखवाड़े के भीतर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो बैंक भावी ग्राहक के संबंध में प्राप्त जानकारी के सन्दर्भ में स्थिति का जायज़ा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों को कोई औपचारिक अनापत्ति मांगने की ज़रूरत नहीं होगी।

आरटीजीएस सेवाएं अब बैंक ग्राहकों के लिए

रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि उसका रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम सहभागी अर्थात् बैंक के सिरे पर ग्राहक लेनदेनों को डालने के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के लिए तैयार (एनेबल) कर दिया गया है। ग्राहक लेनदेनों की स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, जमा सूचना मिलने पर बैंकों को इस बात की अनुमति देगी कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ग्राहक के खाते में सीधे ही जमा लिख दें। इससे स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में टी+1 निपटान शुरू किया जा सकेगा। 72 बैंकों में से 32 बैंक, जो कि आरटीजीएस सिस्टम में सहभागी हैं, पूरे देश में 134 प्रमुख केंद्रों में 840 शाखाओं के ज़रिए ग्राहकों से जुड़ी आरटीजीएस निधि अंतरण सेवाएं प्रदान करते हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि प्राप्तकर्ता बैंक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने पेमेंट सिस्टम्स गेट-वे पर प्राप्ति सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर हिताधिकारी ग्राहक के खाते में जमा लिख देगा। आज की तारीख में अपने ग्राहकों को आरटीजीएस सेवाएं देनेवाली बैंक शाखाओं की सूची बैंक ग्राहकों के लाभ के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम 26 मार्च 2004 को शुरू किया गया था। शुरुआत में यह अंतर-बैंक लेनदेनों के निपटान के लिए ही उपलब्ध था। 29 अप्रैल 2004 से आरटीजीएस सिस्टम ग्राहक लेनदेनों के निपटान के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। आरटीजीएस एक विधिवत् रूप से तैयार किया गया महत्त्वपूर्ण भुगतान सिस्टम है और इसके अंतर्गत देश का पूरा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र आ जाता है। यह एक सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सिस्टम है जो अंतर-बैंक लेनदेनों के निपटान के लिए और ग्राहक आधारित अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए देशभर में किसी भी राशि के लिए रियल टाइम ऑन-लाइन निपटान उपलब्ध कराता है। देश में सभी अनुसूचित बैंक आरटीजीएस के सहभागी बन सकते हैं और अपने ग्राहकों को इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। वर्तमान में अंतर-बैंक निपटान के लिए आरटीजीएस सिस्टम में 72 बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यह मुंबई में अंतर-बैंक निपटान के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत से भी अधिक के लिए निपटान करते हैं।

नीति

लोक अदालतों के लिए सीमा बढ़ायी गयी

सिविल अदालतों द्वारा आयोजित लोक अदालतों के पास भेजे जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा तत्काल प्रभाव से 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे लोक अदालतें आयोजित करने के लिए राज्य/जिला/ताल्लुका स्तरीय विविध सेवा प्राधिकरणों से सम्पर्क करें। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों तथा जिलों के अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने परिचालन क्षेत्र के दायरे में विभिन्न माध्यमों के ज़रिये योजना का आवश्यक प्रचार-प्रसार करें।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना

प्रधान मंत्री रोजगार योजना अधिक कारगर तरीके से काम कर सके, इसके लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया है। यह योजना निम्नानुसार आशोधित की गयी है:

- शिक्षित बेरोजगार युवा, जो स्व-रोजगारित उद्यम (सामान्य आर्थिक गतिविधि) करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं, योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करते हों।
- स्वयं सहायता समूहों में 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवा हों।
- ऋण की कोई अधिकतम सीमा न हो।

- व्यक्तिगत पात्रता के अनुसार परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए ऋण दिया जाए।
- स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को और आगे उधार देने के बजाए सामान्य आर्थिक गतिविधि आरंभ कर सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूहों को उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दी गयी छूट को ध्यान में रखकर सदस्यों की व्यक्तिगत पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाए।
- अपेक्षित मार्जिन राशि का अंशदान (अर्थात् सब्सिडी और मार्जिन मिलाकर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) स्वयं सहायता समूह द्वारा जुटाया जाना चाहिए।
- औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए प्रति उधारकर्ता खाते के लिए संपार्श्विक जमानत लाने के लिए छूट सीमा 5.00 लाख रुपये होगी। सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य, संपार्श्विक से छूट 1.00 लाख रुपये तक सीमित रहेगी। बैंक सुपात्र मामलों में संपार्श्विक की छूट सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।
- कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां समूह के सभी सदस्यों/बहुसंख्य सदस्यों को संवितरण पूर्व शिक्षण की आवश्यकता निर्धारित कर सकती हैं।

अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि 31 मार्च 2005 से *तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध* श्रेणी में सम्मिलित अनर्जक आस्तियों के लिए अवधि के अनुसार उच्चतर श्रेणीबद्ध प्रावधान किया जाए। उसके परिणामस्वरूप, जमानती भाग पर प्रावधान आवश्यकताओं में होनेवाली वृद्धि 31 मार्च 2004 की स्थिति में अनर्जक आस्तियों का वर्तमान स्टाक, जो तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध वर्गीकृत किया हो, के संबंध में तीन वर्षों तक चरणबद्ध रूप में लागू होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उन सभी अग्रिमों के लिए, जो पहली अप्रैल 2004 को या उसके बाद *तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध* श्रेणी में वर्गीकृत हैं, शत प्रतिशत प्रावधान की आवश्यकता होगी। तदनुसार, *तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध* श्रेणी में पहचाने गये अग्रिमों के लिए दिनांक 31 मार्च 2005 से प्रावधान मानदंड निम्नानुसार होंगे:

गैर - जमानती भाग

अग्रिम के उस भाग का प्रावधान अब पहले की ही तरह शत प्रतिशत की सीमा तक किया जाए जो बैंक के वैध उपकरण के रूप में वास्तविक जमानत प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य में कवर नहीं किया गया है तथा वसूली योग्य मूल्य का अनुमान वास्तविक आधार पर किया गया है।

जमानती भाग

तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा	जमानती भाग पर आवश्यक प्रावधान
(i) 31 मार्च 2004 की स्थिति में अनर्जक आस्तियों का बकाया स्टॉक	(i) 31 मार्च 2005 की स्थिति में 60 प्रतिशत 31 मार्च 2006 की स्थिति में 75 प्रतिशत 31 मार्च 2007 की स्थिति में 100 प्रतिशत
(ii) पहली अप्रैल 2004 को या उसके बाद तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध वर्गीकृत अग्रिम	(ii) 100 प्रतिशत

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक जामिन/गारंटीकर्ता नहीं होंगे

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों और अग्रिमों (जमानती और गैर-जमानती दोनों) के लिए शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक और उनके रिश्तेदार जामिन/गारंटीकर्ता नहीं हो सकते।

चालू खाते खोलना

बैंकों के एनपीए स्तर में कमी लाने के लिए ऋण अनुशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे चालू खाता खोलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- खाता धारक से इस आशय का एक घोषणा पत्र देने का आग्रह करें कि वह किसी अन्य वाणिज्य बैंक से ऋण सुविधाएं नहीं ले रहा है या उससे एक घोषणापत्र ले लिया जाना चाहिए जिसमें उसके द्वारा किसी अन्य वाणिज्य बैंक/बैंकों से ली गयी ऋण सुविधाओं का ब्योरा दिया गया हो।
- यह पता लगायें कि क्या वह किसी अन्य सहकारी सोसायटी/बैंक का सदस्य है; यदि है तो उसका पूर्ण ब्योरा जैसे कि सोसायटी/बैंक का नाम, धारित शेयरों की संख्या, ऋण सुविधाओं का विवरण, जैसे कि सुविधा का स्वरुप, मात्रा, बकाया राशि, देय तारीखें आदि प्राप्त कर लेना चाहिए।

यदि खाताधारक किसी वाणिज्यिक बैंक/सहकारी बैंक से पहले से ही कोई ऋण सुविधा ले रहा हो तो चालू खाता खोलनेवाले बैंक को उधार देनेवाले संबधित बैंक को विधिवत सूचित करना चाहिए और उनसे विशिष्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करना चाहिए। यदि किसी सहकारी बैंक/सोसायटी से कोई सुविधा ली गयी हो तो बैंक के लिए सदस्यता और उधार लेने के संबंध में संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उक्त अनुशासन का पालन न करने को निधियों के निर्धारित उपयोग से अन्यत्र उपयोग के लिए उकसाने के कार्य को रूप में माना जाएगा तथा ऐसा उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने पर अथवा बैंक के निरीक्षण के दौरान ध्यान में आने पर संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) के अंतर्गत दंड के लिए पात्र होगा।

रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आयी थी कि उधारदाता बैंक द्वारा लगाए गए ऋण अनुशासन को मात देने के लिए कुछ उधारकर्ता उधारदाता बैंक से इतर बैंकों में चालू खाते खोलते हैं। वे सामान्यतया ऐसा तभी करते हैं जब उनके ऋण खाते अनियमित हो जाते हैं और उन्हें नियमित करने के लिए वे प्राप्त राशि को खाते में जमा नहीं करना चाहते हैं।

स्वर्ण/लघु ऋणों के लिए 90 दिन के मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत बनाने और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न सहभागियों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों की नियामक समाभिरूपता (कन्वर्जन्स) को प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से एक लाख रुपये तक के स्वर्ण ऋणों और लघु ऋणों के लिए 90 दिन के ऋण अनर्जक मानदंड भी लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से शहरी सहकारी बैंकों को बिना किसी अपवाद के ऐसी आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना होगा यदि ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रह गयी हो।

इससे पहले एक लाख रुपये तक के स्वर्ण ऋणों और लघु ऋणों को अनर्जक ऋण के 90 दिन के मानदंड से छूट दी जाती थी और वे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण के लिए 180 दिन के मानदंड के नियंत्रण में आते थे।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
30 तथा 31 अगस्त 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

अस्थायी ओवरड्राफ्ट/चेक खरीद सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को यह बात दोहरायी है कि वे उधारकर्ताओं को अप्रैल 2003 के परिपत्र में निर्धारित सीमाओं के बाहर गैर-जमानती स्वरूप के अस्थायी ओवरड्राफ्ट/चेक खरीद सुविधाओं की मंजूरी न दें।

पूंजी निवेश आर्थिक सहायता (सबसिडी) योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी निवेश आर्थिक सहायता योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित उन सभी परियोजनाओं को नाबार्ड अंतिम आर्थिक सहायता देगा जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पाने की पात्र हैं। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस योजना के अंतर्गत प्रवर्तकों को देय आर्थिक सहायता को ऋण घटक (सबसिडी का निर्धारण) का पूरी तरह पुनर्भुगतान होने तक वित्तपोषक बैंकों की बहियों में *आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाता* (उधारकर्तावार) में रखें।

यह भी सूचित किया जाता है कि आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाते में नामे शेष बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)/नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) के प्रयोजन के लिए मांग एवं मीयादी देयता (डीटीएल) का भाग नहीं होगा।

सूचना

भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लिए प्रस्तावित बोर्ड

रिज़र्व बैंक अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया में है। प्रारूप विनियम सरकार के पास भेजे गये हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड के प्रारूप विनियमन की खास-खास बातें इस तरह से है:

- भुगतान तथा निपटान प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा विनियमन
- भुगतान तथा निपटान प्रणाली के विनियमन तथा पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियां तैयार करना
- मौजूदा और भावी भुगतान और निपटान प्रणालियों, दोनों के लिए मानक तैयार करना
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों का प्राधिकरण
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए सदस्यता के लिए मानदण्ड तय करना
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के परिचालकों के लिए किसी समिति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा दिशा निर्देशों को लागू करना
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के कारगर विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाना
- भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के कारगर विनियमन तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा, समय समय पर अधिसूचित किये जाने वाले अन्य कार्य करना तथा अन्य शक्तियों को लागू करना

स्रोत : संसदीय प्रश्न

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां और वसूलियाँ *

(करोड़ रुपयो में)

बैंक का नाम	अनर्जक आस्तियाँ	वसूलियाँ		
	(31.3.2004)	(31.3.2002)	(31.3.2003)	(31.3.2004)
भारतीय स्टेट बैंक	11,837	3,415	4,559	6,668
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	484	228	218	172
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	691	273	415	425
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	266	123	166	142
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	515	143	170	242
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	504	157	239	260
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	200	98	233	176
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	662	309	235	225
जोड़	**15,159**	**4,746**	**6,236**	**8,312**
इलाहाबाद बैंक	1,418	280	350	571
आंध्रा बैंक	615	168	155	180
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,799	836	731	1,039
बैंक ऑफ इण्डिया	3,451	941	1,067	1,144
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	954	186	212	216
कैनरा बैंक	3,115	596	782	865
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3,092	543	635	831
कॉर्पोरेशन बैंक	722	85	143	107
देना बैंक	1,484	259	549	673
इण्डियन बैंक	1,166	1,035	561	1,039
इण्डियन ओवरसिज़ बैंक	1,547	356	360	526
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,214	388	235	436
पंजाब नैशनल बैंक	4,670	531	500	706
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1,204	91	181	160
सिंडिकेट बैंक	1,586	179	171	266
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2,347	357	339	716
यूको बैंक	1,450	564	373	357
युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	764	263	294	340
विजया बैंक	390	177	182	246
जोड़	**34,990**	**7,835**	**7,823**	**10,418**
कुल जोड़	**50,149**	**12,581**	**14,059**	**18,730**

* बट्टे खाते सहित

स्रोत : संसदीय प्रश्न

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऑण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**